न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 147/2024
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विकास गोदारा पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. राय सिंह पुत्र श्री मनफुल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. महेश्वरी पत्नी श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुनीता पत्नी श्री विकास गोदारा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. मोनिका पुत्री श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. निर्मला पुत्री श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–

वादी की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 16.4.2024

वादी विकास गोदारा ने प्रतिवादीगण राय सिंह वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादीया सं. 2 वादी की माता, प्रतिवादीया सं. 3 वादी की पत्नी, प्रतिवादी सं. 4 व 5 वादी की बहिने है जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के पिता प्रतिवादी सं. 1 [illegible] से तहसील संगरिया के चक 2 डी.एल.पी. के खाता सं. 120/[illegible] जमाबन्दी सम्वत 2071–74 में 4.799 है. कृषि भूमि एवं चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/61 जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 में [illegible] है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चकों के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 केमध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 4 व 5 ने उक्त कृषि भूमि में अपने हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया क्योकि प्रतिवादीया सं. 4 व 5 की शादी अच्छा दान दहेज देकर अच्छे परिवार में कर दी है जो राजीखुशी अपना जीवनयापन कर रही है। इसलिये प्रतिवादी सं. 4 व 5 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैंः-

(क) **वादी विकास गोदारा पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला** हनुमानगढ़(राज.) **के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 2 डी.एल.पी. के खाता सं. 120/96 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.799 है. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 1 राय सिंह पुत्र श्री मनफुल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला** हनुमानगढ़(राज.) **के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/61 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.771 है. कृषि भूमि

(ग) **प्रतिवादी सं. 2 महेश्वरी पत्नी श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला** हनुमानगढ़(राज.) **के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/61 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 1.771 है. कृषि भूमि

(घ) **प्रतिवादी सं. 3 सुनीता पत्नी श्री विकास गोदारा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला** हनुमानगढ़(राज.) **के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

तहसील संगरिया के चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/61 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 2.947 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी

लगातार --3

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 5 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा सहमति का जवाब दावा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 6 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 2 डी.एल.पी. के खाता सं. 120/96 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 व चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/61 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की जमाबन्दीयों की प्रतियां पेश की गई जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने राजीनामा अनुसार तथा प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा सहमति के जवाब दावा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के पिता प्रतिवा[illegible] के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 डी.एल.पी. के खाता सं. [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.799 है. कृषि भूमि एवं चक 4 एम.[illegible] के खाता सं. 86/61 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में [illegible] है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा सहमति के जवाब दावा प्रस्तुत होने के

लगातार --4

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:39 IST
Reason: SelfAttested

कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामानुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं प्रतिवादी सं. 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावा के अनुसार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 डी.एल.पी. के खाता सं. 120/96 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.799 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कम/खारिज किया जावे तथा इसी प्रकार चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/61 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 6.489 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 1.771 है. कृषि भूमि की, प्रतिवादी सं. 3 को 2.947 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.4.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक ...
उपखण्ड ... (राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:39 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 147/2024

विकास गोदारा पुत्र श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम्

राय सिंह पुत्र श्री मनफुल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

महेश्वरी पत्नी श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

सुनीता पत्नी श्री विकास गोदारा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

मोनिका पुत्री श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

निर्मला पुत्री श्री राय सिंह जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 16.4.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 2 डी.एल.पी. के खाता सं. 120/96 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 4.799 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार चक 4 एम.जे.डी. के खाता सं. 86/61 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 6.489 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 2 को 1.771 है. कृषि भूमि की, प्रतिवादी सं. 3 को 2.947 है. कृषि भूमि की खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:34:39 IST
Reason: SelfAttested

मिज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X.... निल .... सूद ....X....
निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह ... फीसदी सालाना ब्याज की तारीख वसूलयाबी तक ....X.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज **दिनांक** 16.4.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया